न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—68/20 (2020/00127) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—रामलाल आत्मज वीरम भांभी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—प्यारचन्द पिता हुक्मा खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—शान्तिलाल पिता हुक्मा खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—नानुराम पिता चुन्ना खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—गोरधनलाल पिता चुना खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—जगन्नाथ पिता चुन्ना खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—मोहनीदेवी पत्नि भंवरलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—मदनलाल पिता मांगु खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—जगदीश पिता मियाराम खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9—जेतीबाई बैवा मियाराम खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10—बालुराम पिता रामा खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11—मोडीराम पिता रामा खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
12—किशनलाल पिता भंवरलाल खटीक निवासी रायपुर हाल खोडियाल, गोडाखेड़ा सुरत गुजरात
13—प्रकाशचन्द्र पिता भवंरलाल खटीक निवासी रायपुर हाल खोडियाल, गोडाखेड़ा सुरत गुजरात
14—कैलाशचन्द्र पिता भंवरलाल खटीक निवासी रायपुर हाल श्रद्वा कॉम्पलेक्स, सुरत गुजरात
15—घीसुलाल पिता मोहनलाल खटीक नि. रायपुर हाल छात्रावास कॉलोनी गंगापुर तहसील सहाड़ा
16—उदी पुत्री मांगु पत्नि भगवान खटीक निवासी रायपुर हाल लसानी तहसील देवगढ़
17—सीता पुत्री मांगु पत्नि बंशीलाल खटीक नि. रायपुर हाल हनुमान दरवाजा करेड़ा तहसील करेड़ा
18—पुष्पा पुत्री मांगु पत्नि नारायण खटीक नि. रायपुर हाल जाटो का निम्बाहेड़ा तहसील करेड़ा
19—अणछी पुत्री मांगु पत्नि शंकर खटीक नि. रायपुर हाल खुटियां तहसील रायपुर
20—पारसी पुत्री मियाराम पत्नि गोपाल खटीक निवासी रायपुर हाल जाटोकानिम्बाहेड़ा तहसील करेड़ा
21—कमला पुत्री मियाराम पत्नि देवीलाल खटीक निवासी रायपुर हाल मण्डी तहसील रायपुर
22—गोटीदेवी पुत्री मियाराम पत्नि भैरूलाल खटीक निवासी रायपुर हाल बोराणा तहसील रायपुर
23—गीतादेवी पुत्री मियाराम पत्नि दिनेशचन्द्र खटीक निवासी रायपुर हाल बोराणा तहसील रायपुर
24—गणीदेवी पुत्री मियाराम पत्नि लक्ष्मण खटीक निवासी रायपुर हाल खुटियां तहसील रायपुर
25—आशादेवी पुत्री मियाराम पत्नि कमलेश खटीक निवासी रायपुर हाल जोगरास तहसील रायपुर
26—जसराज पिता हुक्मा खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
27—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.30 17:46:03 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित
1. हरिश टेलर — प्रार्थी अधिवक्ता
2. पुनमचन्द — विपक्षी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक [illegible].01.2021

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 790 रकबा 0.29 है0, आराजी संख्या 791 रकबा 0.03 है0 कुल किता 2

कुल रकबा 0.32 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। प्रार्थी अपनी अराजी संख्या 2952 में आवागमन पैदल, संज, बैल, ट्रेक्टर आदि सहित आवागमन करने का रास्ता ग्राम रायपुर से बोराणा जाने वाली सड़क से होकर फिर विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 16 की आराजी संख्या 784 व 781 में होकर आगे सरकारी नाला आराजी संख्या 782 पर होकर प्रार्थी की आराजियात में 15 फीट चौड़ाई में रास्ता विद्यमान है जिसमें से प्रवेश करता है। इसी रास्ते से प्रार्थी के पूर्वज भी आवगामन करते आ रहे है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही है। उक्त रास्ते को विपक्षीगण ने दिनांक 19.12.2019 को पत्थर डाल कर बन्द कर दिया जिससे प्रार्थी अपनी आराजियात में आवागमन नही कर पा रहा है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजियात में आवागमन करने हेतु रास्ता जो ग्राम रायपुर से बोराणा जाने वाली सड़क से होकर फिर विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 16 की आराजी संख्या 784 व 781 में होकर आगे सरकारी नाला आराजी संख्या 782 पर होकर प्रार्थी की आराजियात में 15 फीट चौड़ाई में रास्ता विद्यमान है को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम किस्म रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार साहब रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे व उक्त रास्ते का खुलासा कराया जाकर विपक्षीगण को पांबद फरमाया जावे कि उक्त रास्ते को सदैव खुला रखे नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा कराने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 13.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 7 व 12 लगायत 19 व 26 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। एवं विपक्षी संख्या 8 लगायत 11 व 20 लगायत 25 की ओर से अधिवक्ता पर्वतसिंह द्वारा अधिकार पत्र एवं जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है। विपक्षी संख्या 8 लगायत 11 व 20 लगायत 25 की ओर से अपने जवाब में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को गलत बताते हुए अस्वीकार किया गया। प्रार्थी का आवागमन का कोई रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 783, 781 तथा आगे सरकारी नाला में 15 फीट की चौड़ाई अथवा किसी भी चौड़ाई में रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी के आवागमन का रास्ता उपलब्ध है तथा गलत आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी अपनी सुविधा अनुसार विपक्षीगण की आराजी में नवीन रास्ता लेना चाहता है। अपना कथन के रूप में निवेदन किया कि पूर्व में उक्त भूमियां शामलाती थी जिसके बंटवारा होकर 1 हिस्सा कुमावतो को विक्रय कर दिया तथा शामलाती कुआं आराजी संख्या 800 रकबा 0.04 है0 स्थित जिससे होकर प्रार्थी अपनी आराजी में आवागमन करता है और यही उनका कदीमी रास्ता है प्रार्थी की आराजी व विपक्षीगण की आराजी के बीच में नाला है जिससे स्वतः ही आवागमन नही किया जा सकता है। प्रार्थी के पास कदीमी रास्ता होते हुए भी विपक्षीगण को परेशान करने की नियत से दुसरा नया रास्ता दर्ज कराना चाहता है जो न्यायोचित नही है। प्रार्थी विपक्षीगण की आराजियात की पूर्वी तरफ सडत्रक होने से अपनी भूमियो को भी सड़क पर लाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो पर आधारित होने से सव्वय खारीज फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका में अंकन किया कि प्रार्थी की आराजी संख्या 790, 791 में आवागमन हेतु रेकार्ड में रास्ता दर्ज नही है तथा मौके पर रास्ता बना [illegible] प्रार्थी की भूमि में विपक्षीगणो की आराजी संख्या 781, 784 में से पूर्व में करना जाहिर [illegible] है [illegible] बन्द है। उक्त भूमि में आवागमन उक्त विवादित रास्ते के अलावा कोई अन्य [illegible] नही है। [illegible] में रास्ता बन्द होने से आवागमन नही किया जा रहा है घास खेत पर प[illegible] [illegible] रास्ता विपक्षी की आराजी संख्या 781 रकबा 0.26 है0 मे से 0.0180 [illegible] 180 [illegible]टर व आराजी संख्या 784 रकबा 0.13 है0 मे से 0.0040 है0 यानि 40 वर्गमीटर तथा बिलानाम आराजी संख्या 782 रकबा 0.04 है0 मे से 0.0030 है0 यानि 30 वर्गमीटर भूमि कुल 250 वर्गमीटर भूमि की डीएलसी दर 173304 रूपये प्रति बीघा के अनुसार 20049 रूपये की दुगुनी 40098 रूपये मुआवजा राशि बनती है। वैकल्पिक रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.30 17:46:03 IST
Reason: SelfAttested

आराजी संख्या 772, 794, 795, 796, 797, 798, 799 में होकर प्रार्थी की आराजी में आवागमन किया जा सकता है।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई –

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में मुख्य कथन किया कि प्रार्थी को अपनी आराजी में आवागमन हेतु राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नही है और प्रार्थी वर्षो से प्रस्तावित रास्ते से ही आवागमन कर रहा है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी का विपक्षीगण की आराजियात से कभी आवागमन नही हुआ है। प्रार्थी अन्य आराजियात से होता हुआ आवागमन करता है जो वर्तमान में गाडरी व कुमावत के नाम से है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है जो न्यूनतम दुरी का होकर सड़क से लगभग 60 मीटर दुरी पर प्रार्थी की आराजी स्थित है। विपक्षीगण द्वारा जो रास्ता बताया गया है वो काफी दुरी का है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की मूल मंशा के विपरीत है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता के अलावा और कोई रास्ता तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट अनुसार नही है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 791, 792 में आवागमन हेतु विपक्षीगण की संख्या 781 रकबा 0.26 है0 मे से 0.0180 है0 यानि 180 वर्गमीटर व आराजी संख्या 784 रकबा 0.13 है0 मे से 0.0040 है0 यानि 40 वर्गमीटर भूमि कुल 220 वर्गमीटर भूमि की डीएलसी दर 173304 रूपये प्रति बीघा के अनुसार 17643 रूपये भूमि किमत बनती है जिसकी दुगुनी मुआवजा राशि 35286 रूपये बनती है। मुआवजा राशि का भुगतान विपक्षी खातेदारान को करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.01.2021
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी),
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.30 17:46:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—68/20 (2020/00127) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—रामलाल आत्मज वीरम भांभी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—प्यारचन्द पिता हुक्मा खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—शान्तिलाल पिता हुक्मा खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—नानुराम पिता चुन्ना खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—गोरधनलाल पिता चुना खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—जगन्नाथ पिता चुन्ना खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—मोहनीदेवी पत्नि भंवरलाल खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—मदनलाल पिता मांगु खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—जगदीश पिता मियाराम खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9—जेतीबाई बैवा मियाराम खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10—बालुराम पिता रामा खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11—मोडीराम पिता रामा खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
12—किशनलाल पिता भंवरलाल खटीक निवासी रायपुर हाल खोडियाल, गोडाखेड़ा सुरत गुजरात
13—प्रकाशचन्द्र पिता भवंरलाल खटीक निवासी रायपुर हाल खोडियाल, गोडाखेड़ा सुरत गुजरात
14—कैलाशचन्द्र पिता भंवरलाल खटीक निवासी रायपुर हाल श्रद्वा कॉम्पलेक्स, सुरत गुजरात
15—घीसुलाल पिता मोहनलाल खटीक नि. रायपुर हाल छात्रावास कॉलोनी गंगापुर तहसील सहाड़ा
16—उदी पुत्री मांगु पत्नि भगवान खटीक निवासी रायपुर हाल लसानी तहसील देवगढ़
17—सीता पुत्री मांगु पत्नि बंशीलाल खटीक नि. रायपुर हाल हनुमान दरवाजा करेड़ा तहसील करेड़ा
18—पुष्पा पुत्री मांगु पत्नि नारायण खटीक नि. रायपुर हाल जाटो का निम्बाहेड़ा तहसील करेड़ा
19—अणछी पुत्री मांगु पत्नि शंकर खटीक नि. रायपुर हाल खुटियां तहसील रायपुर
20—पारसी पुत्री मियाराम पत्नि गोपाल खटीक निवासी रायपुर हाल जाटोकानिम्बाहेड़ा तहसील करेड़ा
21—कमला पुत्री मियाराम पत्नि देवीलाल खटीक निवासी रायपुर हाल मण्डी तहसील रायपुर
22—गोटीदेवी पुत्री मियाराम पत्नि भैरूलाल खटीक निवासी रायपुर हाल बोराणा तहसील रायपुर
23—गीतादेवी पुत्री मियाराम पत्नि दिनेशचन्द्र खटीक निवासी रायपुर हाल बोराणा तहसील रायपुर
24—गणीदेवी पुत्री मियाराम पत्नि लक्ष्मण खटीक निवासी रायपुर हाल खुटियां तहसील रायपुर
25—आशादेवी पुत्री मियाराम पत्नि कमलेश खटीक निवासी रायपुर हाल जोगरास तहसील रायपुर
26—जसराज पिता हुक्मा खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
27—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.30 17:46:03 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रायपुर तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 791, 792 में आवागमन हेतु विपक्षीगण की संख्या 781 रकबा 0.26 है0 मे से 0.0180 है0 यानि 180 वर्गमीटर व आराजी संख्या 784 रकबा 0.13 है0 मे से 0.0040 है0 यानि 40 वर्गमीटर भूमि कुल 220 वर्गमीटर भूमि की डीएलसी दर 173304 रूपये प्रति बीघा के अनुसार 17643 रूपये भूमि किमत बनती है जिसकी दुगुनी मुआवजा राशि 35286 रूपये बनती है। मुआवजा राशि का भुगतान विपक्षी खातेदारान को करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 19.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

19/01/2021

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.30 17:46:03 IST
Reason: SelfAttested